अहमदाबाद।गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य में राजस्व पटवारी की भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दी है। इससे करीब 1500 शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश ए.एस. दवे की विशेष खंडपीठ ने इस संबंध में 115 उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज किए जाने के बाद अब इस पद पर भर्ती का मार्ग खुल गया है। वर्ष 2014 में डेढ़ हजार राजस्व पटवारी की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया था।

गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी। इस परीक्षा में अनियमितता के आरोपों को लेकर शॉर्ट लिस्ट सूची में शामिल नहीं होने वाले कई उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा व यह सूची रद्द करने की गुहार लगाई थी। इसमें कहा गया कि परीक्षा में व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इसलिए यह परीक्षा रद्द की जाए। एकल पीठ ने भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा व सूची रद्द करने की मांग को लेकर याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी।

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्व पटवारी की ड्यूटी काफी अहम है। वे राजस्व सह मंत्री के बोझ को हल्का करने का काम करते हैं। इन्हें सरकारी बंजर जमीन पर अतिक्रमण तथा जमीन की अंतराल पर समीक्षा की जांच करने का काम होता है। इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं करनी चाहिए।

मामले के अनुसार वर्ष 2014 में राजस्व पटवारी के पदों की भर्ती के लिए साढ़े सात लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। इसमें साढ़े सात हजार से ज्यादा उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद 1500 उम्मीदवारों को इन पदों पर नियुक्ति के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इस परीक्षा के एक दिन पहले गांधीनगर की सेक्टर 7 पुलिस थाने ने इस परीक्षा में अनियमितता को लेकर मामला दर्ज किया था।